नॉट अ क्राइम : व्यभिचार के फैसले पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

28 सितम्बर, 2018

द हिन्दू

''व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटाकर, सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत अधिकारों को एक आधार प्रदान किया है।''

वयस्कों के बीच सहमतिपूर्ण संबंधों को अपराध बनाने वाले प्रावधानों की कानूनी किताबों से सफाई जारी है और इसी प्रक्रिया के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार एक औपनिवेशिक युग के कानून को खत्म कर दिया है।

चार अलग-अलग लेकिन समेकित राय में, भारत के मुख्य न्यायाधीश, दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशीय बेंच ने अंततः भारत को उन देशों की श्रेणी में शामिल कर दिया जहाँ अब तलाक के लिए व्यभिचार पर विचार नहीं किया जाता है।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने तीन बार व्यभिचार के खिलाफ कानून को बरकरार रखा था। पिछले साल, यह कहा गया था कि व्यभिचार पर कानून एक महिला को अपने पति के अधीनस्थ के रूप में मानता है और अब यह समय आ गया है कि समाज यह माने कि एक महिला हर मामले में पुरुष के बराबर होती है।

कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में व्यभिचार से संबंधित प्रावधानों को हटा दिया है। आईपीसी की धारा 497 के मुताबिक, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है, एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के प्रेमी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का अधिकार था।

पति द्वारा महिलाओं को अपनी संपत्ति समझने के संदर्भ में, यह कानून स्पष्ट रूप से लिंग-भेदभावपूर्ण था; इसके अलावा, अदालत ने सीआरपीसी की धारा 198 (2) को भी समाप्त कर दिया है, जिसके तहत पति अकेले व्यभिचार के खिलाफ शिकायत कर सकता था।

याचिका में तर्क दिया गया था कि कानून तो लैंगिक दृष्टि से तटस्थ होता है लेकिन धारा 497 का प्रावधान पुरुषों के साथ भेदभाव करता है और इससे संविधान के अनुच्छेद 14 (समता के अधिकार), 15 (धर्म, जाति, लिंग, भाषा अथवा जन्म स्थल के आधार पर विभेद नहीं) और अनुच्छेद 21 (दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन होता है।

कोर्ट ने इस कानून को पुरातन करार देते हुए कहा कि ये संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीने का अधिकार) का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने कहा कि व्यभिचार तलाक का आधार हो सकता है, लेकिन इसे आपराधिक कृत्य नहीं ठहराया जा सकता है।

अपनी और न्यायमूर्ति खानविलकर की ओर से फैसला लिखने वाले प्रधान न्यायाधीश मिश्रा ने कहा कि व्यभिचार महिला की व्यक्तिकता को ठेस पहुंचाती है और व्यभिचार चीन, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में अपराध नहीं है।

उन्होंने कहा, संभव है कि व्यभिचार खराब शादी का कारण नहीं हो, बल्कि संभव है कि शादी में असंतोष होने का नतीजा हो।

जस्टिस मिश्रा ने कहा कि महिला के साथ असमान व्यवहार संविधान के कोप को आमंत्रित करता है। उन्होंने कहा कि समानता संविधान का शासकीय मानदंड है।

अभी तक, कानून के मुताबिक, दूसरे व्यक्ति की पत्नी के साथ विवाहेत्तर यौन संबंध बनाने पर सिर्फ पुरुष के लिए सजा का प्रावधान है, लेकिन महिलाओं को ऐसे अपराध में दंड से मुक्त रखा गया है।

इस धारा में यह भी प्रावधान है कि विवाहेत्तर संबंध में लिप्त पुरुष के खिलाफ केवल उसकी साथी महिला का पति ही शिकायत दर्ज कर कार्रवाई करा सकता है। अब इस 158 वर्षीय कानून को समाप्त कर दिया गया है उसके पति की सहमति होने पर किसी अन्य के साथ उसका संबंध व्यभिचार नहीं माना जायेगा।

न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ के अनुसार, धारा 497 के इतिहास से पता चलता है कि व्यभिचार पर कानून पति को लाभ प्रदान करता था, क्योंकि यह कानून पति को अपनी पत्नी की कामुकता पर स्वामित्व सुरक्षित करता था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी सिस्टम महिला को उसकी गरिमा से विपरीत या भेदभाव करता है वो संविधान के कोप को आमंत्रित करता है। आगे कहा कि जो प्रावधान महिला के साथ गैरसमानता का बर्ताव करता है वो असंवैधानिक है।

* * *

व्यभिचार कानून

संदर्भ-

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने 27 सितंबर 2018 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एकमत से व्यभिचार कानून पर फैसला सुनाया।
- मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली इस बेंच ने कहा कि किसी भी तरह से महिला के साथ असम्मानित व्यवहार नहीं किया जा सकता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में स्त्री और पुरुष के बीच विवाहेत्तर संबंध से जुड़ी IPC की धारा 497 को गैर-संवैधानिक करार दे दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

- मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि IPC की धारा सेक्शन 497 महिला के सम्मान के खिलाफ है।
- मुख्य न्यायधीश के अनुसार महिलाओं को हमेशा समान अधि कार मिलना चाहिए। महिला को समाज की इच्छा के हिसाब से सोचने को नहीं कहा जा सकता।
- संसद ने भी महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा पर कानून बनाया हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पति कभी भी पत्नी का मालिक नहीं हो सकता है।
- चीफ जस्टिस और जस्टिस खानविलकर ने कहा कि व्यभिचार किसी तरह का अपराध नहीं है, लेकिन अगर इस वजह से आपका पार्टनर खुदकुशी कर लेता है, तो फिर उसे खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला माना जा सकता है।
- इसके बाद सभी पांच जजों ने एक मत से इस धारा को असंवैधानिक करार दिया।
- सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान पीठ में जस्टिस आर.एफ. नरीमन, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस इंदू मल्होत्रा और जस्टिस ए.एम. खानविलकर शामिल थे।

याचिकाकर्ता के बारे में-

- केरल के एक अनिवासी भारतीय जोसेफ साइन ने इस संबंध में याचिका दाखिल करते हुए आईपीसी की धारा-497 की संवैधानिकता को चुनौती दी थी।
- इसे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था और जनवरी में इसे संविधान पीठ को भेजा था।

व्यभिचार कानून या धारा-497 क्या है?

- भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-497 के तहत यदि कोई शादीशुदा पुरुष किसी अन्य शादीशुदा महिला के साथ आपसी रजामंदी से शारीरिक संबंध बनाता है तो उक्त महिला का पति एडल्टरी (व्यभिचार) के नाम पर उस पुरुष के खिलाफ केस दर्ज करा सकता है।
- हालांकि, ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है और न ही विवाहोत्तर संबंध में लिप्त पुरुष की पत्नी इस दूसरी महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है।
- इस धारा के तहत ये भी प्रावधान है कि विवाहोत्तर संबंध में लिप्त पुरुष के खिलाफ केवल उसकी साथी महिला का पति ही शिकायत दर्ज कर कार्रवाई करा सकता है।
- किसी दूसरे रिश्तेदार अथवा करीबी की शिकायत पर ऐसे पुरुष के खिलाफ कोई शिकायत नहीं स्वीकार होगी।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. भारतीय दण्ड संहिता की धारा-198(2) के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है?

(a) यह व्यभिचार के विरूद्ध शिकायत करने के लिए अकेले पति को ही शक्ति प्रदान करती है।

(b) यह व्यभिचार के विरूद्ध शिकायत करने के लिए पति-पत्नी दोनों को ही शक्ति प्रदान करती है।

(c) यह व्यक्ति की वाक स्वतंत्रता को समाप्त करती है।

(d) उपर्युक्त सभी

2. भारतीय दण्ड संहिता की धारा-497 के संबंध में उच्चतम न्यायालय के अनुसार निम्नलिखित में से महिलाओं के कौन-सा/से संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता था?

1. समता का अधिकार
2. कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध से संरक्षण
3. दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें-

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3

(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

3. भारतीय दण्ड संहिता की धारा-497 को असंवैधानिक करार देने का निम्नलिखित में से क्या प्रभाव हो सकता है?

1. व्यक्ति को अपनी पत्नी के प्रेमी के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही प्रारम्भ करने का अधिकार प्राप्त हो गया है।
2. व्यभिचार को आपराधिक कृत्य नहीं ठहराया जा सकेगा।
3. महिलाओं के समानता का अधिकार तथा जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन से बचाव होगा।

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें-

(a) केवल 1 (b) 2 और 3

(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

नोट- 27 सितम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a), 2(d), 3(b) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. भारतीय दण्ड संहिता की धारा-497 विशेष रूप से महिलाओं के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती आयी है, किन्तु इस धारा को समाप्त करने से महिलाओं के मूल अधिकारों की रक्षा होगी। विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द)

Section-497 of Indian Penal Code has been violating specially the fundamental rights of women but the fundamental rights of women will be protected by ending the section. Analyse. (250 Words)